न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00279 (157/2017) 223 आरटीएक्ट

शंकरलाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)
–अपीलाण्ट

बनाम

1. छबीलाराम
2. हरदत्त
3. परसाराम

} पिसरान रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा
5. उप पंजियक भादरा ।

–रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्र. सं. 136/2016 बअदालती शंकरलाल बनाम छबीलाराम

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 3
श्री मांगेराम गोदरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5

निर्णय दिनांक:– 16.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक अर्जीदावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन का प्रस्तुत किया। अर्जीदावा की मद सं0 2 में अंकित भूमि को अच्छी मदों के हिसाब से वादी व प्रतिवादीगण में खाता व लगान अलग अलग किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी भादरा ने अपने निर्णय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की थी परन्तु आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। समस्त भूमि एक जैसी है या नहीं कीमत एवं उपजाउपन एवं रास्ता खाला बाबत कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष हरदत्त, शंकरलाल व परसराम को भूमि में प्रवेश करने हेतु जो रास्ता विभाजन प्रस्ताव में भिजवाया गया था उसी अनुरूप निर्णय परित कर दिया है जबकि उससे कम दूरी का रास्ता भी दिया जा सकता था जिससे रास्ता सुगम एवं छोटा रास्ता होता एवं मात्र तीन किलों

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में से ही रास्ता हेतू भूमि उपयोग में आती है। अपीलाण्ट ने जो मु. नं. 11 के किला नं. 12, 13 व 14 अथवा 12, 13, 17 में से ही रास्ता का प्रस्ताव दिया था उसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए था। तहसीलदार हल्का को मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें हेतु निर्देश दिये थे परन्तु वे मौका पर नहीं गये और राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। तहसीलदार कमीश्नर द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव पर मात्र काउण्टर हस्ताक्षर कर प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया है। अपीलाण्ट की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016–17 पेज 711, आरएलडब्ल्यू 2015 (2) पेज 991, आरआरडी 1995 पेज 475, आरआरटी 2017 (1) पेज 689 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि पक्षकारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर मौके पर काबिज काश्त हैं मौके पर मकान/घर बना रखे हैं। इसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। सहमति से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये हैं। जो रास्ता चलता है वह काफी समय से चल रहा है। उसमें कोई त्रूटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो विभजान प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव में रास्ता एवं भूमि की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में जो आपत्ति उठाई गई है उसके संबंध में कुछ भी फांईडिंग नहीं दी गई। अपीलाण्ट ने अपील में रास्ते के संबंध में आपत्ति की है कि जो रास्ते का प्रावधान किया गया है वह लम्बा रास्ता है। इसके संबंध में अपील में वैकल्पिक रास्ता चक 5 डीपीएन के मु. नं. 11 के किला नं. 12, 13, 14 अथवा किला नं. 12, 13, 17 में से रास्ता प्रस्तावित करने बाबत विकल्प दिया है इसके संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षों की उपस्थिति में राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालने करते तैयार किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांण्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 प्रकरण सं. 136/16 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में दोनों पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर एवं विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियों पर उभयपक्षो को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए सुनकर पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official